रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1427] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2019/चैत्र 26, 1941
No. 1427] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2019/CHAITRA 26, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2019

का.आ. 1609(अ)—निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यवाही संख्या 464/2019/ईपीएस तारीख 12 मई, 2019 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 17वीं लोक सभा के गठन के लिए लोक सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अनुरोध करने के लिए अधिसूचना जारी करने की सिफारिश की थी ;

और, निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना सं. 1389(अ) तारीख 19 मार्च, 2019 जारी की गई है, और उक्त अधिसूचना में 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से, जिनमें अन्य के साथ तमिलनाडु राज्य के 39 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हैं, निर्वाचन करने का अनुरोध किया गया है ;

और, निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या 55(अ) तारीख 19 मार्च, 2019 द्वारा, अन्य बातों के साथ, पूर्वोक्त वर्णित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक अनुसूची नियत की है और उक्त अधिसूचना द्वारा तमिलनाडु राज्य में 18 अप्रैल, 2019 को मतदान कराना नियत किया है ;

और, निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यवाही संख्या 464/ईसीआई/एलईटी/टीईआरआर/ टीएन/एसएस-आई/2019 तारीख 14 अप्रैल, 2019 (इस अधिसूचना के उपाबंध के रूप में प्रति उपाबद्ध) द्वारा सूचित किया है कि आयोग का पूर्णतया समाधान हो गया है कि राजनैतिक दल के कतिपय अभ्यर्थियों और कुछ सदस्यों/कार्यकर्ताओं के विधि विरुद्ध कार्यकलापों के कारण तमिलनाडु में 8 वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चालू निर्वाचन प्रक्रिया गंभीर रूप से दूषित हो गई है और आयोग के मत में

विद्यमान निर्वाचन प्रक्रिया को अग्रसर करने और ऐसे दूषित वातावरण में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में 18 अप्रैल, 2019 को, जैसा कि अनुसूचित किया गया है, मतदान संचालित करने से उक्त निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन को गंभीर जोखिम उत्पन्न होगा । तदनुसार, आयोग ने साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन उसमें निहित शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि वह निर्वाचन अधिसूचना सं. 1389(अ) तारीख 19 मार्च, 2019 को जहां तक उसका संबंध तमिलनाडु में उक्त निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करने से है, विखंडित कर दें ;

और, इस संबंध में की गई निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि अधिसूचना सं. 1389(अ) तारीख 19 मार्च, 2019 को जहां तक उसका संबंध तमिलनाडु में लोक सभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए 8-वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से है, विखंडित कर दिया जाए ;

अत:, अब राष्ट्रपति अधिसूचना सं. 1389(अ) तारीख 19 मार्च, 2019 को, जहां तक उसका संबंध तमिलनाडु में 8-वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा का सदस्य निर्वाचित करने से है, भागत: विखंडित करते हैं और तदनुसार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, "तमिलनाडु" प्रविष्टि के सामने, स्तंभ 2 में, "8-वैल्लोर" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. एच-11024/1/2019-वि. 2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

कार्यवाहियां

विषय : तमिलनाडु के 8-वैल्लोर संसदीय निर्वाचन में आयोजित किए जाने के लिए निर्वाचन अनुसूची – के संबंध में ।

16वीं लोक सभा की समयावधि 3 जून, 2019 को समाप्त होनी है और तदनुसार नई लोक सभा के गठन हेतु साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन समयसूची की घोषणा प्रैस टिप्पण संख्या ईसीआई/पीएन/23/2019 द्वारा 10 मार्च, 2019 को की गई थी । भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संचालित करने के लिए सुसंगत शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य भारत निर्वाचन आयोग को सौंपता है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 निर्वाचन अधिसूचित करने का उपबंध करती है ।

2. 97 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (सनि), जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में 39 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, के लिए साधारण निर्वाचन का अनुरोध माननीय राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना संख्या एच-11024(1)/2019-वि.2 तारीख 19 मार्च, 2019 द्वारा किया गया है । तमिलनाडु राज्य से लोक सभा के निर्वाचन की समयसूची आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 और धारा 56 के अधीन नियत की गई थी । पूर्वोक्त 97 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिसके

अंतर्गत तमिलनाडु में 39 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी हैं, के लिए निर्वाचनों के विभिन्न प्रक्रमों के लिए विभिन्न तारीखें नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(क) 19 मार्च, 2019 (मंगलवार), अधिसूचना जारी करने की तारीख ;

(ख) 26 मार्च, 2019 (मंगलवार), नामनिर्देशन फाइल करने की अंतिम तारीख ;

(ग) 27 मार्च, 2019 (बुधवार), नामनिर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख ;

(घ) 29 मार्च, 2019 (शुक्रवार), नाम वापस लेने की अंतिम तारीख ;

(ङ) 18 अप्रैल, 2019 (बृहस्पतिवार), वह तारीख, जिसको मतदान किया जाएगा ;

(च) 23 मई, 2019 (बृहस्पतिवार), मतगणना की तारीख ; और

(छ) 27 मई, 2019 (सोमवार), वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन पूरा किया जाएगा ।

3. आयोग ने तमिलनाडु राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं और इस संबंध में अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के व्यय, आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) को लागू करने के लिए, विधि और व्यवस्था आदि बनाए रखने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं । निर्वाचनों की घोषणा पर तुरंत संपूर्ण राज्य में किसी एक समय पर 10 मार्च, 2019 को 702 उड़न दस्ता दल (एफएसटी), 234 अचल सर्वेक्षण दल (एसएसटी) और 234 वीडियो सर्वेक्षण दल तैनात करके आदर्श आचार-संहिता लागू की गई थी । राज्य में कुल 2106 एफएसटी और 702 एसएसटी तैनात किए गए थे ।

4. उड़न दस्तों और अचल सर्वेक्षण दलों के वाहनों को जीपीएस समर्थ बनाया गया था, जिससे एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से उनकी प्रास्थिति और संचलन की मानीटरी का सुनिश्चय किया जा सके । सी-वीजिल नामक एक ऐप को भी नागरिकों को नकद, अल्कोहल, ड्रग्स, मुफ्त उपहार के रूप में प्रलोभन, जिन्हें अभ्यर्थियों द्वारा या राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए दिया जाता है, की घटनाओं के फोटोग्राफिक/वीडियोग्राफिक साक्ष्य को फाइल करने के लिए भी आरंभ किया गया था । यह ऐप एफएसटी, जो शिकायत ग्रहण करते हैं, की वास्तविक समय में मानीटरी को अनुज्ञात करती है । सी-वीजिल और जीपीएस आधारित मानीटरी यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि शिकायतों को सुनने के लिए इन दलों के संचलन में कोई विलंब न हो, वाहनों की छत पर एक कैमरा भी लगाया गया था ताकि यह मानीटर किया जा सके कि घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात् दल शिकायतों से किस प्रकार निपटते हैं, जिसकी मानीटरी संबंधित डीईओ नियंत्रण कक्ष से की जाती थी ।

5. इसके अतिरिक्त, निवारक उपाय, जिसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संपूर्ण राज्य में कार्रवाई का परिणाम 15 व्यक्तियों को आबद्ध करने और 17242 अजमानतीय वारंटों के रूप में हुआ । मतदान से पूर्व और मतदान के दौरान किसी हिंसा को निवारित करने के लिए संदेहास्पद अनुज्ञप्त शस्त्रों को भी जमा किया गया था ।

6. सामान्य प्रक्रम में भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य, जिसमें निर्वाचन होता है, में प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यय पर्यवेक्षक तैनात करता है । तथापि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने पूर्व अनुभव के आधार पर सम्यक् सावधानी के पश्चात् तमिलनाडु राज्य में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दो व्यय पर्यवेक्षकों की सेवाओं की ईप्सा की । तदनुसार, तमिलनाडु में 39 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 78 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे ।

7. इसके अतिरिक्त आयोग ने राज्य के लिए 19 मार्च, 2019 को यह विचार करते हुए कि संपूर्ण राज्य को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यय संवेदी माना गया था, एक विशेष व्यय पर्यवेक्षक तैनात किया । विशेष पर्यवेक्षक को निर्वाचन तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्य का पर्यवेक्षण और मानीटरी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए की आसूचना इनपुटों के आधार पर और सी-वीजिल तथा वोटर हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से सभी व्यक्तियों/अस्तित्वों, जो नकद, शराब और मुफ्त वस्तुओं आदि का मतदान प्रक्रिया को दूषित करने के लिए वितरण करते हैं, के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कठोर और प्रभावी प्रवर्तनकारी कार्यवाही की जाए, के लिए तैनात किया गया था । भारत निर्वाचन आयोग इस प्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा था ।

8. आयोग ने निम्नलिखित अतिरिक्त प्रबंध किए :

(क) राज्य में सभी स्ट्रीटों और जंक्शनों पर सीसीटीवी/सर्वेक्षण कैमरा तैनात किए गए थे ताकि वाहनों और अवांछनीय तत्वों के संचलन को रिकार्ड किया जा सके ।

(ख) शिकायत निगरानी नियंत्रण कक्ष और मतदाता हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर को आरंभ करते हुए नैतिक मतदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए और लोगों को मतदाताओं को रिश्वत देने पर दांडिक उपबंधों के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी स्वीप अभियान संपूर्ण राज्य में आरंभ किया गया था । जनता, मतदाताओं को घूस देने संबंधी दांडिक उपबंधों के बारे में जागरुक है ।

(ग) सभी जिलों की राज्यशीर्ष आय-कर टीमें जिन्हें धन भंडारण/वितरण की देखभाल की ड्यूटी सौंपी गई थी, उन्हें पुलिस प्राधिकारियों के साथ सघन समन्वय में कार्य करने को कहा गया था ।

(घ) रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, टैक्सी और आटो स्टेंडों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी निगरानी की जा रही थी ।

9. भारत निर्वाचन आयोग को, टोकन, प्रीपेड फोन रिचार्ज कूपन, समाचार पत्र अभिदाय, दुग्ध टोकन, बैंकों में अस्पष्ट रूप से धन के अंतरण द्वारा और यहां तक मोबाइल फोन धारकों के मोबाइल वालेट में संदाय जैसे नवीकरणीय प्ररूपों में नकद और उपहारों के वितरण द्वारा निर्वाचकों को प्रलोभन देने की संभावनाओं के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसी कुप्रथाओं के निवारण के लिए एक विस्तृत प्रणाली बनाई है :

(क) बैंककारी चैनलों का उपयोग करने वाले दस लाख रुपए से अधिक के सभी संदेहजनक संव्यवहारों को एफआईयू-आईएनडी द्वारा मानीटर किया जाएगा और सृजित की गई उनकी रिपोर्टें प्रवर्तन अभिकरणों को दी जाएगी ;

(ख) बैंक खातों के माध्यम से छोटी राशियों के संदेहजनक संव्यवहारों की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्राधिकारियों को दी जाएगी ;

(ग) राजस्व आसूचना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसे प्रवर्तन अभिकरणों को ऐसी नकद राशि, शराब और स्वापक ओषधियों के, जिनका मतदाताओं को प्रभावित करने और वातावरण को दूषित करने में उपयोग किया जाता है, नियंत्रण में सहायता देने के लिए सहयोजित किया गया था ;

(घ) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और रेल संरक्षण बल सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को ऐसी किन्हीं वस्तुओं का, जिनका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, संचलन के दौरान जांच के लिए उनकी भूमिका के संबंध में सुग्राही बनाया गया था;

(ङ) मोबाइल फोन टाप अप के पोस्टपेड प्लान, समाचार पत्र अभिकर्ताओं, दुग्ध विक्रेताओं की, इलैक्ट्रानिक रूप जैसे माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अन्यथा निगरानी की जा रही थी ;

(च) विक्रय कर (वाणिज्यिक कर) विभाग की टीमों को टोकनों के माध्यम से माल के विक्रय का तत्काल सत्यापन करने हेतु सेवा के लिए तैनात किया गया था ।

10. मतदाताओं को प्रलोभन/घूस देने से संबंधित विभिन्न शिकायतों पर विस्तृत जांचें की गई थीं । धन, उपहार, वस्तुओं के वितरण और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों पर 11 अप्रैल, 2019 तक, व्यय संबंधी अपराध के लिए तमिलनाडु राज्य में 147 प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत की गई थीं ।

11. आयोग को, आय-कर विभाग के निर्वाचन व्यय को मानीटर करने वाले नोडल अधिकारी से तारीख 30 मार्च, 2019 को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । इस रिपोर्ट के अनुसार श्री दुरई मुरगन, कोषाध्यक्ष, द्रविड़ मुनैत्र कड़गम (डीएमके) के निवास से 19.57 लाख रुपए बरामद किए गए थे जिसमें से 10.57 लाख रुपए का अस्पष्टीकारक धन के रूप में अभिग्रहण किया गया था । इस रिपोर्ट में यह कथन किया गया था कि किंगस्टोन इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बंगलौर के भागों में आय-कर अधिनियम, 1962 की धारा 132 के अधीन तलाशी और अग्रिम अन्वेषण कार्रवाई अभी भी जारी है ।

12. इसके अतिरिक्त, श्री डी.एम.कथीर आनंद, श्री दुरई मुरगन और दुरई मुरगन शिक्षण न्यास के मामलों में तलाशी और अभिग्रहण संबंधी कार्रवाइयों में के निष्कर्षों के संबंध में आय-कर महानिदेशक (अन्वेषण) से तारीख 5 अप्रैल, 2019 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । आयोग को यह सूचित किया गया था कि आय-कर विभाग सहित विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों को श्री दुरई मुरगन, विधान सभा सदस्य और कोषाध्यक्ष, डीएमके पार्टी तथा श्री डी.एम.कथीर आनंद पुत्र श्री दुरई मुरगन और वैल्लोर संसदीय निर्वाचर क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के निवास स्थान में और दुरई मुरगन शैक्षणिक न्यास द्वारा चलाए जा रहे किंगस्टोन इंजीनियरिंग महाविद्यालय में, जिसके श्री डी.एम.कथीर आनंद, श्रीमती संगीथा पत्नी श्री डी.एम.कथीर आनंद और श्रीमती डी.संथा कुमारी पत्नी श्री दुरई मुरगन न्यासी है, जमा बेहिसाब नकद धनराशि की भारी रकम के संबंध में इनपुट प्राप्त हुए हैं । इस सूचना की पृथक रूप से संचालित स्थानीय जांच के माध्यम से संपुष्टी की गई थी और यह पाया गया कि महाविद्यालय कार्य घंटों के पश्चात् महाविद्यालय परिसर में निर्वाचन से संबंधित कुछ संदेहस्पद गतिविधियां की जा रही हैं ।

13. आय-कर महानिदेशक (अन्वे.) की पूर्वोक्त रिपोर्ट पैरा 11 में निर्दिष्ट आरंभिक रिपोर्ट में कथित तथ्यों पर और व्याख्या करती है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि तलाशी वारंट अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर जारी किए गए थे और तलाशी दल ने श्री कठीर आनन्द और श्री दुरई मुरूगन के वैल्लोर में आवासीय परिसर में 30.03.2019 को 3.00 बजे पूर्वा. में प्रवेश किया था । 19.57 लाख रुपए पाए गए थे, जिसमें से, निर्वाचन शपथपत्र आदि में घोषित नकदी पर विचार करने के पश्चात् 10.57 लाख रुपए अप्रकटित के रूप में अभिगृहीत किए गए थे । इसके अतिरिक्त, 82 खुली शीटें (कम्प्यूटर प्रिंट आऊट) भी थी, जिनमें वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या और कुल मतदाताओं की संख्या के 100%, 80% और 60% मतदाताओं को वितरण के लिए 500 रुपए प्रति मत और 200 रुपए प्रति मत की दर से अपेक्षित रकम के ब्यौरे अंतर्विष्ट थे । रिपोर्ट यह उल्लेख करती है कि उस भारी भीड़ की उपस्थिति के कारण, जिसने परिसर में प्रवेश किया था और तलाशी दल की किसी अगली गतिविधि को रोका था, 30.03.2019 को 10.50 बजे पूर्वा0 को कार्यवाहियां समाप्त कर दी गई थी ।

14. आय-कर महानिदेशक (अन्वे.), चैन्नई की उक्त रिपोर्ट यह कथन करती है कि किंगस्टन इंजीनियरी महाविद्यालय की 30 मार्च, 2019 को 8.00 बजे पूर्वा. से आगे साथ-साथ तलाशी ली गई थी, चूंकि तलाशी दलों को कन्या छात्रावास में स्त्रियों की उपस्थिति के कारण तात्पर्यित रूप से सुरक्षा कार्मिकों द्वारा प्रात:काल में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया था । तलाशी दल ने यह संप्रेषण किया कि स्पष्ट रूप से वहां परिसर की पहले से ही छानबीन की गई थी और सी.सी.टी.वी. के नियंत्रण पैनल और कम्प्यूटरों के हार्ड डिस्कों सहित सामग्रियों को हटाया गया था । इसके अतिरिक्त, गंभीर निगरानी से इस बात की पुष्टि हुई कि नकदी की बड़ी रकम और अन्य अभिशंसी सामग्री वास्तव में तब महाविद्यालय परिसर से हटवा दी गई थी, जब दलों को प्रवेश किए जाने से मना किया जा रहा था ।

15. इसके अतिरिक्त, आय-कर महानिदेशक की रिपोर्ट के अनुसार, विवेकशील निगरानी के दौरान एकत्रित की गई आसूचना के आधार पर, अभ्यर्थी श्री कठीर आनन्द के निकट सहयोगियों और उनके नातेदारों के कतिपय परिसरों की पहचान की गई थी और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अधीन काटापाडी तालुक, वैल्लोर जिले में 01.04.2019 को नए सिरे से तलाशियां आरंभ की गई थी । श्री दामोदरन, जो श्री श्रीनिवासन, डीएमके कार्यकर्ता का ब्रदर-इन-ला है, के निवास से डिब्बों, बोरों, प्लास्टिक थैलों आदि में रखे गए कुल 11.18 करोड़ रुपए की नकदी पाई गई थी । थेलों में पाई गई नकदी को प्लास्टिक के पैकेटों में और पैक किया गया था, जिन पर कम्प्यूटर जनित लेबल चिपकाए हुए थे । इन लेबलों में सभा निर्वाचन क्षेत्रो (वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में) के नाम, ब्लाकों के नाम और संख्या, वार्डों के नाम और संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या और 200 रुपए प्रति मत की दर से राशि अंतर्विष्ट है । प्लास्टिक पैकेटों में नकदी की कुल रकम का मिलान लेवल पर लिखी गई रकम के साथ किया गया था । पाई गई अधिकांश करेंसी 200 रुपए के अंकित मूल्य की थी । केवल 99 लाख रुपए की रकम 2000 रुपए और 500 रुपए के अंकित मूल्य की थी और यह रकम वितरण के लिए प्लास्टिक पैकेटों में पैक नहीं की गई थी । डिब्बों में पाए गए 200 रुपए के अंकित मूल्य के 2.8 करोड़ रुपए के अलावा, लगभग 7.68 करोड़ रुपए की शेष रकम पैक की गई और वितरण के लिए तैयार थी । इसके अतिरिक्त, उपयोग में किए गए लेवल मतदाताओं के वार्डवार विवरण के ब्यौरों सहित खुली शीटें और किंग्स्टन इंजीनियरी महाविद्यालय से सम्बन्धित दस्तावेज पाए गए थे ।

16. रिपोर्ट यह उल्लेख करती है कि श्री श्रीनिवासन उर्फ पूंजोलाय श्रीनिवासन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में इस पूर्वोक्त नकदी के स्रोत के बारे में कोई अन्य ब्यौरे दिए बिना नकदी को अपने कब्जे में लिए गए पाया गया था । नकदी की मात्रा के सम्बन्ध में भी उसने यह कथन किया है कि यह लगभग 9 करोड़ होगी । उसने आयकर विवरणियां कभी फाइल नहीं की हैं और न ही निर्वाह के अपने स्रोत के बारे में कोई संगत उत्तर दिया है । उसने पाए गए धन का स्रोत भू-संपदा कारबार से बताया है किन्तु वह अपने द्वारा किए गए किसी एक व्यौहार का भी उल्लेख नहीं कर सका और इस प्रकार किसी विश्वसनीय साक्ष्य सहित नकदी के स्रोत को साबित नहीं कर सका । उसने यह भी कथन किया है कि वह कटपार्डी में डीएमके पार्टी का शहरी सचिव था । **उसने अपने कथन में यह भी कहा है कि उसने नकदी के इन पैकेटों को मतदाताओं को वितरित करने के लिए तैयार किया था ।** जब ये तथ्य श्री कठीर आनंद और श्री दुरई मुरुगन के समक्ष लाया गया तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे पुंजोलाय श्रीनिवासन को डीएमके के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जानते थे किन्तु पाई गई नकदी के बारे में जानकारी से इंकार किया था ।

17. श्री श्रीनिवासन का छोटा भतीजा अर्थात् श्री सुरेन्द्र बाबू, पुत्र श्री दामोदरन भी नकदी के पाए जाने के समय परिसर में उपस्थित था किन्तु उसने अपने गृह में नकदी की विद्यमानता के बारे में अनभिज्ञता अभिव्यक्त की थी । आयकर प्राधिकारियों से समक्ष शपथ पर दिए गए अपने कथन में उसने यह कहा है कि उसके चाचा पी. श्रीनिवासन ने सायं 30.03.2019 को उससे घर की चाबी ली थी और श्री श्रीनिवासन के पास 30.03.2019 की रात्रि में नकदी और अन्य कागजात ही थे । श्री सुरेन्द्र बाबू ने यह भी कहा है कि श्री कठीर आनंद के कुछ सहयोगी उससे 30 मार्च और 31 मार्च 2019 को यह पता करने के लिए मिले थे कि श्री श्रीनिवासन ए.के. पुंजोलाय श्री श्रीनिवासन उस स्थान पर आया था । यह, प्रथम दृष्टया, अभ्यर्थी श्री कठीर आनंद और श्री श्रीनिवासन के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करता है ।

18. इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित अभिगृहीत नकदी का स्रोत का अन्वेषण कैनरा बैंक से स्वतंत्र जांच करके और पारिणामिक तलाशी ऑपरेशन करके आयकर विभाग द्वारा किया गया था । इस सम्बन्ध में 12.04.2019 को आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) चेन्नई से यह कथन करते हुए रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि 200 रुपए के अंकित मूल्य की 10.5 करोड़ रुपए रकम (11.48 करोड़ रुपए की अभिगृहीत नकदी में से) नवीनतम गणना मशीनों, जो करेंसी नोटों के क्रम संख्याओं को पकड़ती हैं, का उपयोग करते हुए गिनी गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया गया था कि वह उस मूल या करेंसी तिजोरी का पता लगाए जिससे ये करेंसी नोट जारी किए गए हैं । यह पाया गया था कि इन करेंसी नोटों को कैनरा बैंक, वेल्लोर शाखा के नकदी तिजोरी से जारी किया गया है । नकदी तिजोरी के प्रबंधक अर्थात् श्री सिंगाराम और श्री विनोद कृषण से इस विषय के बारे में उत्तर मांगा गया था । उन्होंने पत्र तारीख 10.04.2019 द्वारा यह उत्तर दिया है कि यह कैनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, वेल्लोर में श्री एम. दयानिधि, ज्येष्ठ प्रबंधक के कहने पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी

आंतरिक शाखा अध्यापेक्षा ली और 200 रुपए के अंकित मूल्य के नोटों के लिए उच्चतर अंकित मूल्य के नोटों का आदान-प्रदान किया। परिणामस्वरुप श्री दयानिधि के निवास की तलाशी ली गई थी और आयकर विभाग द्वारा उसके बयान लिए गए थे। **उसने श्री पुंजोलाय, श्री श्रीनिवासन, डीएमके पार्टी कार्यकर्ता के लिए करेंसी के आदान-प्रदान को सुकर बनाया जाना स्वीकार किया है। उसने यह कहा है कि मार्च, 2019 में नकदी का 3 से 4 किस्तों में आदान-प्रदान किया गया था और कथित प्रयोजन पार्टी के आनुषांगिक खर्चों को पूरा करने के लिए और पार्टी की बैठकों के लिए लाए गए लोगों में वितरण करने के लिए था।** रिपोर्ट करेंसी के उक्त आदान-प्रदान के लिए अनुसरण की गई कार्य प्रणाली को भी स्पष्ट करती है।

19. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) ने भी निम्नलिखित समापन टिप्पणियां की हैं,

> *"घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि 29.03.2019 की सायं से हुए खुलासे से लेकर 01.04.2019 को नकदी की वसूली तक, वह रीति, जिसमें नकदी को पैक किया गया था, नकदी के साथ-साथ पाए गए कागजात और उन सम्बन्धित व्यक्तियों के कथन की हिसाब में न ली गई नकदी वास्तव में किंग्स्टन इंजीनियरी महाविद्यालय और श्री कठीर आनंद और श्री दुरई मुरुगन के निवास में पैक की गई थी और गुप्त रूप से उस अवधि के दौरान, जब निवास में प्रवेश करने से निगरानी टीम को मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा था, तब पार्टी कार्यकर्ता के सम्बन्धी के निवास में स्थानांतरित कर दिया गया था और मुख्य व्यक्तियों से सम्बन्धित नकदी तथा नकदी वास्तव में वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आगामी साधारण निर्वाचन, 2019 में मतदाताओं को बांटने के लिए थीं, जहां डीएम कठीर आनंद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। नकदी का पैक न किया गया भाग और प्रयोग न किए गए ऐसे लेवल, जिन्हें अभिगृहीत भी किया गया था, स्पष्टतया यह उपदर्शित करते हैं कि अभ्यर्थी उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी लक्ष्य मतदाताओं को लुभाने के लिए तैयारी कर रहा था।"*

20. आयकर प्राधिकारियों द्वारा तलाशी और अभिग्रहण कार्रवाई के ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों को चेन्नई में अन्वेषण निदेशालय द्वारा वेल्लोर के डीईओ और पुलिस अधीक्षक को संसूचित किया गया था और तद्नुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125क(1), भारतीय दंड संहिता की धारा 171ङ और धारा 171ख(2) के अधीन 10 अप्रैल, 2019 को काटापार्डी पुलिस थाने में जिला प्रशासन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला सं. 205/2019 तीन नामित अभियुक्तों अर्थात् श्री डीएम कठीर आनंद, श्री श्रीनिवासन उर्फ पुंजोलाय श्रीनिवासन और श्री दामोदरन के विरुद्ध दर्ज की गई थी।

21. अभ्यर्थी डीएम कठीर आनंद ने अभ्यावेदन तारीख 07.04.2019 फाइल किया है जो 10.04.19 को आयोग में प्राप्त किया गया था और जिसमें आयोग से आयकर की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने के लिए अनुरोध किया गया था, यदि यह सत्य के विरुद्ध है और आयकर विभाग से निष्पक्ष, अपक्षपाती और तटस्थ होने के लिए कहा गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने श्री कठीर आनंद के अभ्यावेदन पर पहले ही विचार कर लिया है और निम्नलिखित सिफारिश की है, "*आयकर विभाग की रिपोर्ट और फाइल की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट अभ्यर्थी और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए कतिपय विनिर्दिष्ट गलत कार्यों को प्रकट करती है। अभ्यर्थी ने आयकर विभाग की रिपोर्टों का विरोध किया है, मेरे विचार से व्यय संपरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट को भी इस विषय पर विनिश्चय करने के लिए आयोग द्वारा मंगवाया जा सकता है, क्योंकि किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।*"

22. व्यय संपरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट तारीख 07.04.2019 द्वारा यह कथन किया है कि नकदी को अन्तर्विष्ट करने वाले लिफाफों में वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वेनियाम वार्डी और केवी कप्पम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के वार्डवार ब्यौरे थे। उन्होंने यह कथन किया है कि जब यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छह खंडों में से दो खंडों से सम्बन्धित है तो वे यह अभिनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या कुछ वैसा ही दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी वैसा ही नहीं हुआ है। यह और कथन किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में नकदी का प्रभाव दृश्यमान है और निष्पक्ष और निर्वाचन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

23. तमिलनाडु के लिए विशेष व्यय संपरीक्षक ने रिपोर्ट तारीख 08.04.2019 वेल्लोर में आयकर विभाग द्वारा किए गए तलाशी और अभिग्रहण ऑपरेशनों के बारे में फाइल की है। यह भी कहा गया है कि तलाशियों में प्रलोभनों के माध्यम से मतदाताओं के प्रभावित करने के लिए क्रमबद्ध अभिकल्पनाओं का पता लगाया गया है। ये क्रियाकलाप लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अनुसार "भ्रष्ट आचरण" की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। विशेष व्यय संपरीक्षक की यह राय है कि निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है।

24. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु ने पत्र संख्या 4636/ईएलई.X/2019-12 तारीख 12 अप्रैल, 2019 के माध्यम से अपनी अंतिम रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें उन्होंने नीचे दिए अनुसार कथन किया है :

"कंप्यूटर प्रिंट आउट के रूप में साक्ष्य, जिनमें प्रस्तावित सभा निर्वाचन क्षेत्र खंड, वार्ड और बूथवार धन वितरण के ब्यौरे हैं, के साथ 11.48 करोड़ रुपए की नकद जब्ती से संपूर्ण वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्वाचकों को लुभाने के लिए एक स्पष्ट पैटर्न और डिजाइन उपदर्शित होता है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह मतदाताओं को लुभाने का एक संगठित तरीका है अत: इससे निर्वाचन पर्यावरण संदूषित होता है, जो कि इस समय वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोभ मुक्त नैतिक निर्वाचन संचालित करने के लिए सही समय नहीं है"।

25. आयोग ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान संपूर्ण स्थिति का सावधानी से विश्लेषण और जांच की है। तथ्यों से और अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है, जो ऊपर दिए गए हैं कि अभ्यर्थी, राजनैतिक दल और उनके सहभागियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने और प्रलोभित करने के लिए धन का बड़े पैमाने पर और छिपाकर वितरण किया जा रहा है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता दूषित होती है और इससे वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान स्तर पर मतदान विचलित होता है।

26. यह नोट किया जा सकता है कि निर्वाचन विधि निर्वाचनों के दौरान 'रिश्वत' के कृत्य को बहुत गंभीरता से लेती है और ऐसे कृत्यों में संलिप्त को विधि के अधीन गंभीर दंड दिया जाता है। किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार को संदूषित करने के उद्देश्य के साथ निर्वाचनों के दौरान रिश्वत देना या ऐसे प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार को संदूषित करने का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अधीन दंडनीय अपराध है और यह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। 'रिश्वत' के अपराध के लिए दोषसिद्धि चाहे किसी न्यूनतम जुर्माने के अधिरोपण के रूप में हो, स्वत: सिद्धदोष व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) के अधीन न्यूनतम छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित करती है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचनों में इस प्रकार की 'रिश्वत', लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के अधीन एक भ्रष्ट व्यवहार भी है, जिसके परिणामस्वरूप चुने गए अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है और ऐसे भ्रष्ट व्यवहार को किए जाने के लिए अपराधी पाए गए अभ्यर्थी को आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा छह वर्ष की आगे और अवधि के लिए निरर्हित भी किया जा सकता है। विधि में 'रिश्वत' को एक निर्वाचन संबंधी अपराध और साथ ही भ्रष्ट व्यवहार बनाए जाने संबंधी उपरोक्त उपबंधों को इस अभिव्यक्त उद्देश्य के साथ सम्मिलित किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को अत्यधिक उच्च दर्जा प्रदान किया गया है, यहां तक कि उसे मतपत्रों की गोपनीयता से भी ऊपर रखा गया है जिसे लोकतांत्रिक निर्वाचनों में अति पवित्र समझा जाता है। यह उल्लेख करना उचित है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए राज्य सभा के निर्वाचनों में, जहां प्राय: यह आरोप लगाए जाते थे कि इन निर्वाचनों के निर्वाचकों को, उनका मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन और लालच दिए जा रहे थे, मतदान प्रणाली को भी वर्ष 2003 में संशोधित किया गया है, जिससे 'खुले मतदान' के लिए उपबंध किया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जिसके समक्ष राज्य सभा के निर्वाचनों में खुले मतदान का उपबंध करने वाली विधि में किए गए उपरोक्त संशोधन को प्रश्नगत किया गया था, **कुलदीप नायर बनाम भारत संघ और अन्य** [एआईआर 2006 एससी 3127] के मामले में यह संप्रेक्षण किया था कि यद्यपि मतपत्र की

गोपनीयता और निर्वाचनों की शुद्धता को सामान्यता साथ-साथ विद्यमान होना चाहिए, फिर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए निर्वाचन की शुद्धता के सिद्धांत को मत की गोपनीयता के सिद्धांत पर तरजीह दी जानी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में भी, **रघबीर सिंह गिल बनाम गुरचरन सिंह टोहरा** [एआईआर 1980 एससी 1362] के मामले में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए एक बृहत्तर लोकहित, अर्थात् निर्वाचन की शुद्धता के सिद्धांत के संबंध में इसी प्रकार के संप्रेक्षण किए गए थे।

27. इस तथ्य को नोट करना अनिवार्य है कि भारतीय दंड संहिता में 'रिश्वत' के अपराध संबंधित ऊपर उल्लिखित उपबंधों को वर्ष 1920 में सम्मिलित किया गया था और रिश्वत से संबंधित 'भ्रष्ट व्यवहार' का उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में वर्ष 1951 में किया गया था, जब उसे मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, जब इन कार्यों को विपथन और अपवाद माना जाता था, जबकि ऊपर उल्लिखित तथ्य और आयोग को प्राप्त रिपोर्टें एक पूर्णत: भिन्न छवि प्रस्तुत करते हैं, जहां उक्त निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे विपथन और अपवाद निर्वाचन अभियान की मुख्य विशेषताएं बन गए हैं।

28. पूर्वोक्त के अतिरिक्त देश की विधि निर्वाचन प्रक्रिया में बड़े धन की भूमिका और प्रभाव का उन्मूलन करने का भी उद्देश्य रखती है। इसलिए, विधि ने निर्वाचन व्ययों, जिन्हें अभ्यर्थी उपगत कर सकते हैं या अपने निर्वाचन के संबंध में प्राधिकृत कर सकते हैं, की सीमा विहित की है। विहित सीमा से अधिक व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(6) के अधीन भ्रष्ट पद्धति है, ऐसा करने का परिणाम विजयी अभ्यर्थी के निर्वाचन के शून्य होने में और छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित होने के रूप में हो सकता है। विधि इसके अतिरिक्त प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के अधीन उसके निर्वाचन व्ययों का सत्य और पृथक् लेखा रखने की भी अपेक्षा करती है और निर्वाचन व्ययों का सत्य और सही लेखा रखने में असफलता से उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हता के रूप में हो सकता है।

29. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंवर लाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला और अन्य [एआईआर 1975 एस.सी. 308] में पर्यवेक्षण किया है कि 'व्यय को सीमित करने का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में धन के प्रभाव को यथासंभव सीमित करना है'। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यय को सीमित करने के उपबंध के उद्देश्य के संबंध में यह और पर्यवेक्षण किया है :

> *"यह किसी व्यष्टि या किसी राजनैतिक दल के लिए खुला होगा चाहे वह कितने भी छोटे हों कि वह किसी अन्य व्यष्टि या राजनैतिक दल चाहे अमीर और भली प्रकार वित्तपोषित वे हों, के साथ समानता के आधार पर निर्वाचन लड़ सके और कोई व्यष्टि या राजनैतिक दल बेहतर वित्तीय शक्ति के कारण अन्य पर कोई फायदा लेने में समर्थ नहीं होना चाहिए।"*

30. अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और उनके अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचकों को धन और अन्य उपहार मदों का वितरण, निर्वाचन संबंधी अपराधों और 'रिश्वत' से संबंधित भ्रष्ट आचरण से संबंधित विधि के हितकारी उपबंधों को असफल बनाता है। यह निर्वाचन व्ययों की सीमाओं को विहित करने से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(6) के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और उक्त अधिनियम की धारा 77 और धारा 10क के अधीन अभ्यर्थियों से उनके निर्वाचन व्ययों के सत्य और सही लेखाओं को बनाए रखने की अपेक्षा से संबंधित उपबंधों का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि वस्तुत: निर्वाचकों को अविधिपूर्ण रूप से उपहार और रिश्वत दिए जाने संबंधी व्यय को छिपाया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन संबंधी व्यय के लेखा में उसे उपदर्शित नहीं किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को मान्यता प्रदान की थी और उस संबंध में **अशोक शंकर राव चव्हाण बनाम माधव राव किन्हलकर** [(2014) 7 एससीसी 99] के मामले में निम्नलिखित शब्दों में अपना क्षोभ व्यक्त किया था :

"53. यह एक सामान्य जानकारी है जैसा कि प्रेस और मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है कि आजकल लोक निर्वाचनों में निर्वाचक क्षेत्रों को नकद का संदाय प्रबल हुआ है और निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि ऐसे संकट को नियंत्रण में करना अत्यन्त कठिन है। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के कार्य और व्यवहार में विधि की अपेक्षाओं के प्रति सजग रहना विशेष रूप से धारा 77 के प्रति कोई सत्यता नहीं है और उपगत हो रहे निर्वाचन व्यय पर आरोपित प्रतिबंधों के उल्लघंन का हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतों को भ्रष्ट साधनों अर्थात् मतों को क्रय करके उनके पक्ष में प्राप्त किया जा सके, इसलिए यह न्यायालय अंधदृष्टि (नेल्सन दृष्टि) नहीं रख सकता और उल्लिखित करता है कि धारा 77(1) और (3) और 78, अधिनियम की धारा 123(6) के अधीन केवल भ्रष्ट आचरण को सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत है और यह कि उपगत हो रहे वास्तविक और सही व्यय की ऐसी अपेक्षाएं निर्वाचन आयोग के लिए उस समय आवश्यक नहीं हैं जब कि वह अधिनियम की धारा 10क के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। वास्तव में धारा 77(3) के अधीन अपेक्षाओं को सुनिश्चित करना अर्थात् उपगत हुए व्यय विहित सीमा का उल्लंघन नहीं करते और निर्वाचन को अवैध बनाने के प्रयोजन के लिए भ्रष्ट आचरण के रूप में अभ्यर्थी द्वारा सीमा का उल्लंघन, दोनों को धारा 10 के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए बनाया जा सकता है। इसलिए धारा 77(3) के अधीन की अपेक्षा ने पूर्ण किए जाने वाले दोहरे उद्देश्यों को पूर्ण किया है"।

31. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी.एन.शेषन बनाम भारत संघ [1995(4) एससीसी 611] के वाद में निम्न प्रकार से संप्रेक्षित किया कि :

"प्रजातंत्र हमारी सांविधानिक व्यवस्था की आधारभूत विशेषता होने के कारण, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि हमारे विधायी निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन देश में स्वस्थ प्रजातंत्र की वृद्धि की गारंटी देंगे। निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरादायित्व एक स्वतंत्र निकाय को सौंपा जाना चाहिए जो कि राजनीतिक और/या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो।"

32. निर्वाचनों की शुचिता के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में अवलोकित करते हुए और धन की शक्ति के घातक प्रभाव से निर्वाचनों को बचाने के लिए जिससे संविधान के अधीन निरूपित निर्वाचनों की पवित्रता बनी रहे और जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है, आयोग के भाग पर यह अनिवार्य हो जाता है कि निर्वाचन प्रक्रियाओं की पवित्रता और उपरोक्त सिद्धांतों को आयोग द्वारा हर कीमत पर बनाए रखना और संरक्षित करने को सुनिश्चित करना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन एक निष्पक्ष सांविधानिक प्राधिकारी है जिससे संसदीय और राज्य विधायिकाओं के निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से सुनिश्चित कराया जाए, जहां निर्वाचनों की शुचिता उच्चतम प्राथमिकता को प्राप्त करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य** [(1978) 1 एससीसी 405] के वाद में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में विशेष चिंता व्यक्त की और यह संप्रेक्षित किया कि संविधान का अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को आगे बढ़ाने के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए एक आधान शक्ति है। **मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सुप्रा),** माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह संप्रेक्षित किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातंत्र को सजीवता की आपूर्ति करते हैं। सुविधा की दृष्टि से उससे प्राधिकार लेते हुए उक्त निर्णय के सुसंगत पैरा निम्न रूप से अंकित किए गए हैं :

*"**38.** अनुच्छेद 324, जिसे हमने पहले निरूपित किया है, राष्ट्रीय और राज्य निर्वाचनों के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व को निहित करने वाला एक सर्वांगीण उपबंध है और, इसलिए, कृत्यों के निर्वहन करने के लिए एक आवश्यक शक्ति है।*

40. *[.....] परिस्थितियों की विवशता के अधीन संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के लिए पुनर्निर्वाचन का आदेश देते हुए निर्वाचनों के संचालन के लिए निदेश दिया जा सकना अनुच्छेद 324 द्वारा संरक्षित है.....बशर्ते यह निर्वाचकों के स्वतंत्र मतादेश का समर्थन करने के लिए वास्तविक रूप से आवश्यक हो और पूर्व चुनाव का रद्द किया जाना इसलिए हुआ क्योंकि यह उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल था"।*

92. *[.....] (2)(क) संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को ध्यान में रखता है और निर्वाचन आयोग में निर्वाचनों के संचालन के नियंत्रण, निदेश और अधीक्षण का व्यापक उत्तरदायित्व निहित करता है । यह उत्तरदायित्व परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए शक्तियों, कर्तव्यों और प्रशासनिक या अन्य प्रकार के कृत्यों सम्मिलित कर सकेगा ।*

(ख) उसका प्रयोग करने में इसकी सर्वांगीण हैसियत पर कम से कम दो परिसीमाएं रखी गई हैं, पहली, जब संसद या किसी राज्य विधान सभा ने निर्वाचन संबंधी या उसके संबंध में विधिमान्य विधि बनाई है, तो आयोग ऐसे उपबंधों के अनुपालन में, न कि उसके उल्लंघन में कार्य करेगा लेकिन जहां ऐसी विधि मौन है तो प्रकाश्य प्रयोजनों के लिए कार्य करने की शक्ति का आधार अनुच्छेद 324 है जो शीघ्रता के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने का विच्छेद नहीं करता है। दूसरा, आयोग जहां तक कि उसकी अनुरूपता में, विधि के शासन, सद्भावी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा और प्राकृतिक न्याय के संन्नियमों के लिए भी उत्तरदायी होगा ऐसे कानून संवैधानिक आदेश के अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् निर्वाचन में निष्पक्ष कार्यवाही के रूप में उसकी युक्तियुक्ता और यथार्तता अपेक्षित कर सकेंगे। निष्पक्षता यह देखने की बाध्यता अधिरोपित करती है कि गलत कार्य करने वाला अभ्यर्थी उसके गलत कार्य से अभिलाभ प्राप्त न करे । मामले को संदेह से परे रखने के लिए संपूर्ण पुन: मतदान के लिए आदेश के विनिर्दिष्ट मामले में नैसर्गिक न्याय तथापि, पूर्ण कवच के रूप में नहीं परंतु नमन्य व्यवहार्यता में अनुप्रमाणित और लागू होता है। क्या इसका अनुपालन किया गया है यह अधिकरण के अधिनिर्णय पर छोड़ा जाता है ।

113. *[...] क्योंकि विभिन्न सभा निकायों और राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के पद पर सभी निर्वाचनों का संचालन अनुच्छेद 324 (1) के अधीन निर्वाचन आयोग में निहित होता है, संविधान निर्माताओं ने आयोग को संविधान की रचना के रूप में विभिन्न असंख्य परिस्थितियों में जो कि हमारे ऐसे बृहद लोकतंत्र में समय समय पर उत्पन्न हो सकती है, उसके अधिकारों का प्रयोग करने में, अवशिष्ट शक्तियों के प्रयोग के लिए क्षेत्र छोड़ने में सावधानी बरती है। प्रत्येक आकस्मिकता देखी नहीं जा सकती है या उसका सूक्षमता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता इसलिए अनुच्छेद 324 में हानि से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है । आयोग को कुछ ऐसी परिस्थितियों से निपटना अपेक्षित है जो अधिनियमित विधियों और नियमों में उपबंधित नहीं की गई है जो अनुच्छेद 327 और 328 में आरंभिक खंड का उद्देश्य प्रतीत होता है जो अनुच्छेद 324 के अधीन शक्तियों को प्रचालित और प्रभावी करता है जब उसकी रिक्त क्षेत्र में युक्तियुक्त आवश्यकता हो ।*

114. *इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचनों के दौरान उत्पन्न किसी परिस्थिति के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्टों पर समुचित आदेश पारित किए हैं और उसके समुचित आदेश पारित करने की शक्ति को मना नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शक्ति तत्परता के साथ प्रयोग की जाती है"।*

33. पूर्व में, समान परिस्थितियों में, आयोग मई, 2016 में तमिलनाडू विधान सभा के साधारण निर्वाचनों तमिलनाडू के 134-अर्वाकुरिची, 174-तंजावुर सभा निर्वाचन क्षेत्रों और 12 अप्रैल, 2017 को तमिलनाडु में होने वाले उपनिर्वाचनों में 11-डॉ राधाकृष्ण नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन निरस्त करने के लिए बाध्य था । यह जानना प्रासंगिक है कि मार्च, 2012 में होने के लिए निश्चित झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों दारा राज्य सभा के दिवाषिर्क निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया (वास्तविक मतदान के पश्चात्) आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों के पश्चात् विखंडित कर दी गई थी जिसमें यह दर्शित किया गया था कि कतिपय अभ्यर्थी मतदाताओं को रिश्वत देने में संलग्न थे और यह तथ्य कि निर्वाचन के दिन प्रवर्तन

अभिकरणों द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपये जब्त किए गए जिसके उस निर्वाचन में उपयोग होने का संदेह था। उक्त विखंडन को **जय शंकर पाठक और प्रदीप कुमार बलामुचू विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग** [एआईआर 2012(झारखंण्ड) 58] के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसमें याचियों ने न केवल भारत निर्वाचन आयोग की अधिकारिता को बल्कि उनके विनिश्चय की उपयुक्ता को भी चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल निर्वाचन आयोग के विनिश्चय को उचित ठहराया बल्कि उसकी मुक्त और ऋजु निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम के रूप में प्रशंसा भी की। माननीय उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी को वर्णित करना उपयुक्त होगा :

*"**17**. [.....] हमारी यह विचार पूर्वक की गई राय है कि रिट याचियों द्वारा उठाया गया मुद्दा घोर से घोरतम, दुर्लभ से दुर्लभतम मामले के भी निर्वाचन को विखंडित करने के लिए कदम उठाने की निर्वाचन आयोग की शक्ति पर प्रश्न उठता है। क्योकि देश की स्वतंत्रा के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा उठाया गया बड़े परिणाम वाला एकमात्र कदम है और हमारी राय में यह विनिश्चित पूर्णतः कारण द्वारा समर्थित है तथा, यद्यपि यह प्रयोजन तक सीमित है, किन्तु अकाट्य विश्वासपूर्ण साक्ष्य पर आधारित है, जिससे किसी व्यक्ति को संसद सदस्य की उच्च प्रास्थिति का लाभ उठाने का मौका नहीं देता। यह सत्य है कि कुछ निर्दोष और ईमानदार अभ्यर्थियों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सभी भ्रष्ट नहीं होते, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को वृहद लोक हित में अपने अवसर का बलिदान करना चाहिए।*

***19**. [.....] इसलिए वर्तमान मामले में त्वरित कार्रवाई करने तथा स्वयं निर्वाचन अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश करने तथा त्वरित ढंग से नए निर्वाचन संचालन के अपने मत में सही था।*

***25**. [.....] यह मानना कि कोई भी दल अपने सदस्य के मत के लिए अवैध प्रतिफल में संलग्न नहीं था, तो भी वास्तविक परिस्थिति में जहां धन की संलिप्तता अत्याधिक थी और जिसमें से कुछ धन आयकर विभाग की सतर्कता इकाई द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अवरुद्ध किया गया और निर्वाचन आयोग ने यह माना कि यह बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त और धन की शक्ति के प्रयोग का घोर मामला था और उसने असाधारण परिस्थिति में असाधारण कदम उठाए तथा जो विधि के किसी सांविधिक उपबंध के विरुद्ध नहीं है और यह कार्रवाई सारवान भौतिक साक्ष्यों पर आधारित है, तब इस समय एम.एस.गिल (ऊपर) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से कथन करना उपयुक्त होगा जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि :*

> *"एक बार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पश्चात निर्वाचन आयोग बाहरी प्रभावों से अप्रभावित रहता है और इसे तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके पास विद्यमान विधियों के अनुसार निर्वाचनों के संचालन के लिए शक्तियों का विस्तार नहीं, किन्तु जहां वे अनुपस्थित हैं और फिर भी किसी परिस्थिति का मुकाबला करना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसे अपने कृत्यों का प्रयोग करने तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना नहीं करना है या, परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्तिया प्रदान करने हेतु किसी बाहरी प्राधिकारी की ओर नहीं देखना है। उसे निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी मामलों में अपनी शक्ति को स्वतंत्र रुप से विधिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि निर्वाचन की प्रक्रिया मुक्त और ऋतु रीति में उचित ढंग से पूर्ण होनी चाहिए। "शक्ति के अभिव्यक्त सांविधिक अनुदान या निश्चित कर्तव्य के अधिरोपण के साथ, परिसीमा के अभाव में, विवक्षित रूप से उन सभी साधनों को उपयोग करने का प्राधिकार होता है जो सामान्यतः विवक्षित होते हैं और जो कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक हों..... जो विधि के भाग के रुप में स्पष्ट रूप से उतनी विवक्षित है जितनी की अभिव्यक्त है"*

***26**. इन मामलों में, हमारी यह विचार पूर्वक की गई राय है कि निर्वाचन आयोग ने त्वरित ढंग से मतगणना रोककर तथा मतदान का परिणाम रोककर और अविलम्ब भारत के महामहिम राष्ट्रपति को निर्वाचन अधिसूचना का विखण्डन करने के लिए सिफारिश करके असाधारण कदम उठाकर अपने के अनुरूप कृत्य किया है।*

चूंकि निर्वाचन आयोग की सिफारिशों तथ्यों और उपादानों पर आधारित हैं और यह न्यायालय निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में सत्यता जानने के लिए साक्ष्य और उपादान के पुनः परीक्षण हेतु अपील न्यायालय नहीं है।

30. *हमारी यह विचार पूर्वक की गई राय है कि जब संपूर्ण निर्वाचन के लिए विनिश्चय किया जाता है और जब यहां इस मामलें में, संपूर्ण निर्वाचन राज्य सभा के केवल दो स्थानों के लिए होता है, और निर्वाचन अधिमानी मत द्वारा होता है तो यह अनावश्यक है कि धन एक अभ्यर्थी को मत देने के लिए संदत्त किया गया है जो निश्चित रुप से ऐसे मतदाता की दूसरी अधिमान्यता, जो कि भ्रष्ट है, भी निर्वाचन को दूषित करती है और इस बारे में कोई भी साक्ष्य संग्रहीत करना कठिन है कि क्या धन प्रथम अधिमान्यता के लिए संदत्त किया गया या द्वितीय अधिमानता के लिए उन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में प्रशसनिक विनिश्चिय लेने के लिए निर्वाचन आयोग से तथ्यों का संपूर्णता पर विचार करना अपेक्षित था [.....] इसलिए हमारी विचारपूर्वक की गई राय है कि मामले की वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग के पास केवल इन अभ्यर्थियों के मत निरस्त करना ही विकल्प नहीं था बल्कि उसके द्वारा निर्वाचन रद्द करने की भावना पूर्णतः यायानुमोद्य थी।"*

34. एन कृस्टप्पू विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य [ए.आई.आर. 1995 ए.पी.212] के मामले में माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को जानना अनुपयुक्त न होगा, जहां 163 गोरंटला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए इस आधार पर कि एक राजनैतिक दल का अभ्यर्थी व्यवहृत किया गया और उसे अपना नामांकन पत्र फाइल करने से रोका गया, निर्वाचन विखंडित करने वाले आयोग के आदेश की चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने आयोग के आदेशों को उचित ठहराते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"25. [.....] भारत के संविधान का अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग को अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नियमो के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्र में स्वयं अपने अधिकार से कतिपय शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार है। इस मामले में प्रत्यर्थी और उसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पहले प्रत्यर्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 195 की धारा 30 और धारा 153 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन उसमें विहित पूर्ण शक्तियों के प्रयोग में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल को इस बचन के साथ कि निर्वाचन नए सिरे से आरंभ किया जाएगा, निर्वाचन प्रक्रिया के विखंडन की सिफारिश की थी, जहां तक वह 163-गोरंटला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है।

26. [.....] 163—गोरंटला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया का विखण्डन करने की सिफारिश करने वाली प्रथम प्रत्यर्थी की कार्रवाई किसी विशिष्ट राजनैतिक दल के दृष्टिकोण के संबंध में विविक्त में नहीं देखी जा सकती बल्कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार देखी जाएगी। दी गई परिस्थितियों में पहले प्रत्यर्थी ने यह महसूस किया कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता 163-गोरटंला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गंभीर रूप से दूषित हो गई है और उक्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया का पूरा किया जाना अनुज्ञात किया जाएगा तो इससे निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों का सही विकल्प उपदर्शित नहीं होगा इसलिए पहले प्रत्यर्थी को किसी दुष्प्रेरण के अधीन नहीं माना जा सकता है जहां तक उसमें 163-गोरंटला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के विखंडन की सिफारिश की है। चूंकि परिस्थितियां उक्त निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया को अनुज्ञात करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं"।

35. आयोग की पूर्वोक्त विधिक और सांविधानिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन की शुद्धता को बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालनों का कर्तव्य सौंपा गया है और वर्तमान मामले की परिस्थितियों और सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात् आयोग पूर्णतः संतुष्ट है, कि तमिलनाडु के 8-वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया प्रश्नगत राजनीतिक दलों के कुछ सदस्यों/कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थी श्री कथीर आनंद की ओर से उपरोक्त अवैधपूर्ण क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए गंभीर रूप से दूषित हुई है। आयोग की विचारणीय राय में ऐसे दूषित वातावरण में यथा निर्धारित तारीख 18 अप्रैल, 2019 को निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का संचालन और वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया

को जारी रखने को अनुज्ञात करना उक्त 8-वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा ।

36. आयोग की पूर्वोक्त विधिक और सांविधानिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन की शुद्धता को बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालनों का कर्तव्य सौंपा गया है और तद्नुसार, आयोग साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन और माननीय राष्ट्रपति को इसके लिए समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों के अधीन यह सिफारिश करता है कि वे, **निर्वाचन अधिसूचना संख्या एच.11024(1)/2019-विधायी-2 तारीख 19 मार्च, 2019, जहां तक वह तमिलनाडु के 8-वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा सदस्यों को निर्वाचित करने के आग्रह के संबंध में है, वह इसे विखंडित कर सकेंगे ।**

ह/.	ह/.	ह/.
(श्री अशोक लवासा)	(श्री सुनील अरोड़ा)	(श्री सुशील चंद्रा)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 14.04.2019

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2019

S.O. 1609(E).—Whereas the Election Commission vide its Proceedings No. 464/2019/EPS dated 12th March, 2019 had recommended issue of a notification by the President under section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) (herein referred to as the said Act) calling upon the parliamentary constituencies to elect the members of the House of the People to Constitute the 17th Lok Sabha;

And whereas in pursuance of the recommendations of the Election Commission, a notification No. 1389 (E) dated 19th March, 2019, has been issued by the President calling upon the Parliamentary Constituencies of 13 States/Union territories in the said notification which, *inter-alia,* included the 39 parliamentary constituencies of the State of Tamil Nadu;

And whereas the Election Commission has, inter-alia, fixed the schedule for the above mentioned Constituencies by its notification No. 55 (E) dated 19th March, 2019 issued under section 30 read with section 56 of the said Act and by the said notification, fixed the poll to be taken on 18th April, 2019 in the State of Tamil Nadu;

And whereas the Election Commission vide its proceedings No. 464/ECI/LET/TERR/TN/SS-I/2019 dated 14th April, 2019 (copy annexed as Annexure to this notification), has informed that the commission is fully satisfied that the current electoral process in 8-Vellore parliamentary constituency in Tamil Nadu has been seriously vitiated on account of unlawful activities of certain candidates and some members/workers of the political party and in the

Commission's considered opinion, allowing the current electoral process to proceed and conducting the poll in the said constituency on 18th April, 2019, as scheduled, in such a vitiated atmosphere would severely jeopardize the conduct of free and fair election in said Constituency. Accordingly, the Commission has recommended in exercise of the powers vested in it under article 324 of the Constitution read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 and all other powers enabling it in this behalf, to the Hon'ble President that he may be pleased to rescind the election notification No. 1389 (E) dated 19th March, 2019, in so far as it relates to calling upon the said constituency in Tamil Nadu to elect a member to the Lok Sabha;

And whereas on considering the recommendations of the Election Commission, made in this regard, the President is satisfied that the notification No. 1389 (E) dated 19th March, 2019 may, in so far as it relates to calling upon the said 8-Vellore parliamentary constituency in Tamil Nadu to elect a member to the Lok Sabha, be rescinded;

Now, therefore, the President is pleased to partially rescind the notification No. 1389 (E) dated 19th March, 2019, in so far as it relates to calling upon the said 8-Vellore parliamentary constituency in Tamil Nadu to elect a member to the Lok Sabha and accordingly makes the following amendment in the said notification, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against the entry "Tamil Nadu", in column 2, the entry "8-Vellore" shall be omitted.

[F. No. H-11024/1/2019-Leg. II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road

New Delhi- 110001

PROCEEDINGS

SUB: THE ELECTION SCHEDULED TO BE HELD IN 8-VELLORE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY IN TAMIL NADU - REGARDING.

The term of the 16th Lok Sabha is set to expire on 3rd of June, 2019 and, accordingly, the election schedule for General Election to constitute new Lok Sabha was announced vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 on the 10th of March, 2019. Article 324 of the Constitution of India bestows the relevant powers, duties and functions upon the Election Commission of India to conduct free and fair elections, while Section 14 of the Representation of the People Act, 1951 provides for notifying the election.

2. The General Election from 97 Parliamentary Constituencies (PCs), including 39 PCs in the State of Tamil Nadu was called by the Hon'ble President vide notification No. H-11024(1)/2019-Leg.II dated 19th March 2019. The schedule for the election to the Lok Sabha from the State of Tamil Nadu was fixed by the Commission under Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, I951. The different dates for various stages of elections for the aforesaid 97 PCs including the 39 PCs in Tamil Nadu are as under:

(a) the 19th of March, 2019 (Tuesday), as the date of issue of notification;

(b) the 26th of March, 20l9 (Tuesday), as the last date for filing nominations;

(c) the 27th of March, 2019 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(d) the 29th of March, 2019 (Friday), as the last date of the withdrawal of candidatures;

(e) the 18th of April, 2019 (Thursday), as the date on which the poll will be held;

(f) the 23rd of May, 2019 (Thursday), as the date for counting of votes; and

(g) The 27th of May 2019 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

3. The Commission made elaborate arrangements for conduct of free and fair polls in the state of Tamil Nadu and in this regard issued extensive guidelines for monitoring of expenditure of the candidates and political

parties, enforcement of Model Code of Conduct (MCC), maintenance of law and order etc. Immediately on announcement of the elections, on 10th March, 2019, the enforcement of MCC was commenced by putting in place 702 Flying Squad Teams (FSTs), 234 Static Surveillance Teams (SSTs) and 234 Video Surveillance Teams (VSTs) across the state, at any given time. A total of 2106 FSTs and 702 SSTs were deployed in the State.

4. The vehicles of Flying Squads and Static Surveillance Teams were GPS enabled in order to ensure that their position and movement could be monitored from a central control room. An app called C-VIGIL was also activated to involve citizens in filing photographic / videographic evidence of incidents if inducements in the form of cash, alcohol, drugs, free gifts is resorted to by candidates or members of political parties to sway voters. This app allows real time monitoring of FSTs which attend to the complaints received. C-VIGIL and GPS based monitoring was to ensure that there is no delay in movement of these teams to attend to the complaints, a camera was also fixed on the top of vehicles so as to monitor how the complaints were handled by the teams after reaching the spot, which were monitored from the respective DEO's control room.

5. Further, preventive measures including action under Cr.PC were undertaken throughout the state resulting in 15 persons being bound down and execution of 17,242 Non-bailable Warrants. To prevent any violence before and during the polls, doubtful licensed arms were deposited.

6. In the normal course, the Election Commission of India deploys 1 Expenditure Observer per Parliamentary Constituency in every State that goes to poll. However, the Chief Electoral Officer (CEO), after carrying out due diligence based on previous experience, sought the services of two Expenditure Observers per Parliamentary Constituency in the state of Tamil Nadu. Accordingly, 78 Expenditure Observers were deployed in 39 PCs in Tamil Nadu.

7. Furthermore, the Commission deployed one Special Expenditure Observer from 19th March, 2019 for the state, considering that the whole state was deemed to be expenditure sensitive by the CEO. The Special Observer was deployed to supervise and monitor the work being done by the electoral machinery and to ensure that stringent and effective enforcement action is undertaken based on intelligence inputs and complaints received through C-VIGIL and Voter Helpline 1950 against all persons / entities trying to induce voters by distributing cash, liquor and freebies etc. in order to vitiate the poll process. The ECI was, thus, not leaving any stone unturned to ensure free and fair election.

8. The Commission made the following additional arrangements:

(a) CCTV / Surveillance Cameras were deployed in major streets and junctions in the state to record the movement of vehicles and undesirable elements.

(b) Highly visible SVEEP campaign was launched throughout the state with a focus on ethical voting was launched to popularise the toll-free number of the complaint monitoring control room and voter helpline and to make people aware about the penal provisions on bribing of voters.

(c) All the districts in the state had Income Tax teams which were assigned the duty to attend to complaints of storage / distribution of money. They were asked to work in close co-ordination with police authorities.

(d) Surveillance was also stepped up at important places like railway stations, airport, bus stands, taxi and auto stands.

9. Many complaints were received by the ECI on possibilities of inducement of electors by distributing cash and gifts in innovative forms like tokens, prepaid phone recharge coupons, newspaper subscription, milk tokens, money transfer in no frill accounts in banks and even mobile wallet payment to mobile phone holders. The ECI had put in place an elaborate system for prevention of any such malpractices:

(a) All suspicious transactions in excess of Rs. 10 lakhs, using banking channels, were being monitored by FIU-IND and reports being generated were being shared with enforcement agencies;

(b) Suspicious transactions of smaller amounts through bank accounts were being reported directly to the district authorities for necessary action;

(c) Enforcement agencies like Department of Revenue Intelligence, Narcotics Control Bureau and Enforcement Directorate were co-opted to help in the control of cash, liquor and drugs which are used to induce voters and vitiate the atmosphere;

(d) Central Armed Police Forces, including Central Industrial Security Force and Railway Protection Force were sensitised regarding their role in checking in the movement of any articles which can be used for inducement of voters;

(e) The mobile phone top up of postpaid plans, newspaper agents, milk vendors were monitored electronically or otherwise to prevent misuse of such channels

(f) Teams of Sales Tax (commercial tax) department were pressed into service to immediately verify sale of goods through tokens.

10. Detailed enquiries were conducted on various complaints received relating to inducement/bribing of voters. On the complaints of distribution of money, gift articles and violation of MCC, till 11.04.2019, 147 FIRs were registered in the State of Tamil Nadu for expenditure related transgressions.

11. A preliminary report dated 30th of March, 2019 was received in the Commission from the Nodal Officer of Election Expenditure Monitoring of the Income Tax Department. As per this report, Rs. 19.57 lakhs had been recovered from the residence of Sh. Durai Murugan, Treasurer of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), out of which Rs. 10.57 lakhs were seized as being unexplained. The search also yielded printouts with ward number and amounts written against them. The report stated that the search action u/s 132 of the Income Tax Act, 1961 was still continuing in parts of Kingston Engineering College, Vellore and further investigation was in progress.

12. Further, a report dated 5th of April, 2019, was received from the Director General of Income Tax (Investigation) regarding the findings in the search and seizures operations in the cases of Sh. D.M. Kathir Anand, Sh. Durai Murugan and Durai Murugan Educational Trust. It was informed to the Commission that various enforcement agencies, including the Income Tax Department, had been receiving inputs regarding huge amounts of unaccounted cash stored at the residence of Sh. Durai Murugan, MLA and Treasurer of DMK party and Sh. D.M. Kathir Anand, s/o Sh. Durai Murugan and contesting candidate for Vellore Parliamentary Constituency and also in Kingston Engineering College run by Durai Murugan Educational Trust of which Sh. D.M. Kathir Anand, Smt. K. Sangeetha, w/o Sh. D.M. Kathir Anand and Smt. D. Shantha Kumari, w/o Sh. Durai Murugan are the Trustees. This information was corroborated through local enquiries conducted discreetly and it was found that there were some suspicious activities relating to elections being carried out in the college premises after college hours.

13. The aforesaid report of the DGIT(Inv.) further elaborates on the facts stated in the preliminary report referred to in para 11, highlighting that search warrants were issued based on information on record and the search teams entered the residential premises of Sh. Kathir Anand and Sh. Durai Murugan in Vellore at 3:00 a.m. on 30.03.2019. Rs. 19.57 lakhs were found, out of which Rs. 10.57 lakhs were seized as unexplained after considering the cash declared in the election affidavit etc. Apart from this, 82 loose sheets (computer printouts) containing details of number of voters in each assembly segment of Vellore Parliamentary Constituency and the amount required at the rate of Rs. 500 per vote and at Rs. 200 per vote for distribution to 100%, 80% and 60% of the total number of voters. The report mentions that due to the presence of a large crowd which had entered the premises and prevented any further activity of the search team, the proceedings were concluded at 10:50 a.m. on 30.03.2019.

14. The said report of the DGIT(Inv.) Chennai states that, Kingston Engineering College was simultaneously searched from 8:00 a.m. onwards on 30th of March, 2019 as the search teams had not been allowed to enter early in the morning by the security personnel purportedly due to the presence of ladies in the girls' hostel. The search team observed that evidently there was prior rummaging of the premises and removal of material including the control panel of the CCTV as well as the hard disks of the computers. Further discreet surveillance resulted in the confirmation that a large amount of cash and other incriminating material had indeed been shifted out of the college premises while the teams were being denied entry.

15. Further as per DGIT report, based on the intelligence gathered during the discreet surveillance, certain premises of close associates of the candidate Shri Kathir Anand and their relatives were identified and fresh searches u/s 132 of the Income Tax Act, 1961, at Katapadi Taluk, Vellore District were initiated on 01.04.2019. Cash totalling Rs. 11.48 Cr., kept in cartons, gunny bags, plastic bags etc. was found from the residence of one Sh. Damodaran, who is brother-in-law of one Sh. Srinivasan, a DMK functionary. The cash found in bags was further packed in plastic packets on which computer-generated labels were pasted. The labels contain the name

of the assembly segments (in Vellore PC), name and number of blocks, name and number of wards, total number of voters and amount at the rate of Rs. 200 per vote. The total amount of cash in the plastic packets tallied with the amount written on the label. Most of the currency found was of the denomination of Rs. 200. Only an amount of Rs. 99 lakhs was in the denomination of Rs. 2000 and Rs. 500 and this amount had not been packed in plastic packets for distribution. Apart from Rs. 2.8 Crores, in the denomination of Rs. 200, found in cartons, the rest of the amount, approximately Rs. 7.68 Crores was packed and ready for distribution. In addition, unused labels, loose sheets with details of ward-wise breakup of voters and documents related to Kingston Engineering College were found.

16. The report mentions that Shri Srinivasan alias Poonjolai Srinivasan, in his statement recorded u/s 131 of the Income Tax Act, 1961, owned up the cash found, without giving any other details regarding the source of this aforesaid cash. Even in respect of the quantum of cash, he has stated that it would be approximately Rs. 9 Cr. He has never filed IT returns and did not give any consistent answer regarding his source of living. He mentioned the source of money found to be from real estate business but could not cite even one deal done by him and thus, could not substantiate the source of cash with any credible evidence. He also stated that he was Town Secretary (Agriculture Wing) of DMK party in Katpadi. **He further stated in his statement that he has prepared these packets of cash for distribution to voters.** When these facts were confronted to Shri Kathir Anand and Shri Durai Murugan, they have acknowledged that they knew Sh. Poonjolai Srinivasan as a party functionary of DMK but denied knowledge about the cash found.

17. The younger nephew of Sh. Srinivasan, namely Sh. Surender Babu, s/o Sh. Damodaran was also available in the premises where the cash was found but expressed ignorance about the existence of cash in their house. In his sworn statement before IT Authorities, he stated that his uncle P. Srinivasan had taken the key of the house from him in the evening of 30.03.2019 and that Sh. Srinivasan had only kept the cash and other papers in the night of 30.03.2019. Sh. Surendra Babu also stated that some associates of Sh. Kathir Anand had called him on 30th and 31st of March, 2019 to check whether Sh. Srinivasan a.k.a. Poonjolai Srinivasan had come to the place or not. This, prima facie, explains the nexus between the candidate Shri Kathir Anand and Shri Srinivasan.

18. Further, the source of the above-mentioned seized cash was investigated by the Income Tax Department by making independent inquiries from Canara Bank and by conducting consequential search operations. In this regard, a report was received from the Director General of Income Tax (Investigation), Chennai on 12.04.2019 stating that an amount of Rs. 10.5 Cr. (out of seized cash of Rs.11.48 Cr.) in Rs. 200 denomination was counted using the latest counting machines which capture the serial numbers of the currency notes and the RBI was requested to trace the origin/currency chest from which these were issued. It was found that the same have been issued from the cash chest of Canara Bank, Vellore Branch. A response was sought from the Managers of the cash chest, namely, Sh. Singaram and Sh. Vinod Krishnan regarding the matter. They have responded vide letter dated 10.04.2019 that the same was done at the behest of Sh. M. Dayanidhi, Senior Manager at Canara Bank Regional Office, Vellore whereby they raised their internal Branch Advise Requisition and exchanged higher denomination notes for Rs. 200 denomination notes. As a consequence, Sh. Dayanidhi's residence was searched and his statement taken by the Income Tax Department. **He admitted to have facilitated the exchange of currency for Sh. Poonjolai Srinivasan, a DMK Party functionary. He stated that cash was exchanged in 3 to 4 instalments in March, 2019 and the stated purpose was to meet incidental party expenses and to distribute to people brought for party meetings**. The report also explains the modus operandi followed for the said exchange of currency.

19. The DGIT(Inv.) has also made the following concluding remarks,

"It is evident from the events that unfolded from the evening of 29.3.2019 till the recovery of cash on 01.04.2019, the manner in which the cash was packed, the papers found along with the cash and the statements of the persons concerned that the unaccounted cash was indeed packed in the Kingston engineering College and the residence of Shri Kathir Anand and Shri Durai Murugan and it was clandestinely shifted to the premises of a relative of a Party functionary during the period when stiff resistance was offered to the Monitoring Team from entering the residence and cash belonging to the main persons and that the cash was indeed meant for distribution to the voters in the ensuing General Elections-2019 for the Vellore PC where Sh. D.M. Kathir Anand is a contesting candidate. The unpackaged portion of the cash and the unused labels which were also seized clearly indicate that the candidate was making preparations to cover all the target voters in the said Parliamentary Constituency."

20. The above-mentioned findings of the search and seizure action by the Income tax authorities were communicated to the DEO and the SP of Vellore by the Investigation Directorate in Chennai and accordingly an FIR bearing Case No. 205/2019 was lodged by the district administration at Katapadi P.S. on 10th April, 2019 u/s 125A(1) of the RP Act, 1951 r/w 171E, 171 B(2) of the Indian Penal Code against three named accused, namely, Shri D . M. Kathir Anand, Shri Srinivasan alias Poonjolai Srinivasan and Shri Damodaran.

21. The candidate, Sh. D.M Kathir Anand, filed a representation dated 7.4.2019 which was received in the Commission on 10.4.2019 requesting the Commission not to act on the report of Income Tax if it is contrary to the truth and to ask the Income Tax Department to be impartial, un-biased and neutral. The CEO has already considered the representation of Sh. Kathir Anand and made the following recommendation, *"the reporting of the Income Tax Department and the FIR filed reveal certain specific wrongdoings by a candidate and his associates. The candidate has contested the reports of the Income tax Department. In my view, independent report of the Expenditure Observers can also be called for by the Commission to decide this issue, since the election process should not be allowed to be vitiated by any political party or candidate."*

22. The Expenditure Observers vide their report dated 07.04.2019 stated that the envelopes containing the cash had ward-wise details of Vaniyambadi and K.V. Kuppam Assembly Constituencies of Vellore PC. They state that while this pertains to two out of six segments in the PC, they are not in a position to ascertain whether something similar has not happened in other assembly segments also. It is further stated that the influence of cash in the election process is visible and may hamper free and fair election.

23. Special Expenditure Observer for Tamil Nadu filed a report dated 08.04.2019 regarding the search and seizure operations undertaken by the IT Department in Vellore. It has been stated that the searches have unearthed a systematic design to influence voters through inducements. These activities come under the ambit of "corrupt practices" as per Section 123 of the RP Act, 1951. The Special Expenditure Observer is of the opinion that the situation is not conducive for the conduct of free and fair elections.

24. The CEO Tamil Nadu has filed his final report on the matter *vide* Letter No. 4636/Ele.X/2019-12, dated 12th April 2019, wherein he has stated as under:

> "*These cash seizures of Rs. 11.48 Cr. along with evidence in the form of computer printouts detailing proposed assembly segment, ward and booth wise money distribution suggests a clear cut pattern and design to induce the electors at a large scale across the Vellore Parliamentary Constituency, which is against the principle of free and fair elections. This organised way of inducement of voters has thus vitiated the electoral environment which is now not conducive for conducting inducement free, ethical election in Vellore Parliamentary Constituency at this juncture".*

25. The Commission has carefully analysed and examined the whole situation as prevailing in the said constituency. It is apparent from the facts and the evidence brought on record, which is narrated above, that inducement and allurements to electors by the candidate, political party and their associates by distribution of money has been going on at a large scale and in a clandestine manner, vitiating the purity of the electoral process and disturbing the level playing field in Vellore Parliamentary Constituency.

26. It may be noted that the election law seriously frowns upon acts of 'bribery' during elections and those indulging in such acts are visited upon with severe penalties under the law. Bribing any person during elections with the objective of inducing him or any other person to exercise any electoral right or, even inducing or attempting to induce any person to exercise any such right for such consideration, is an electoral offence under section 171B of the Indian Penal Code, and is punishable with imprisonment of either description for a term extending up to one year or, with fine, or with both. Any conviction for the offence of 'bribery', even if resulting in the imposition of a very nominal fine, will automatically disqualify the convicted person for a minimum period of six years under section 8(1) of the Representation of the People Act, 1951. Further, such 'bribery' at elections is also a corrupt practice under section 123(1) of the Representation of the People Act, 1951 which can result in the election of the returned candidate being declared void and the candidate found guilty of commission of such corrupt practice can also be disqualified by the President on the recommendation of the Commission for a further period of six years. The above provisions in the law, making 'bribery' an electoral offence and also a corrupt practice, have been made with the manifest object of ensuring purity of the election process. Purity of electoral process has been placed on a higher pedestal than even the secrecy of ballot which is considered to be sacrosanct in democratic elections. It is worthwhile to point out that in order to

maintain purity of election process, even the voting system at elections to the Rajya Sabha has been amended in 2003 to provide for 'open voting' where allegations were often made that the electors at those elections were being offered various forms of allurements and inducements to obtain their votes. The Hon'ble Supreme Court, before whom the above amendment to the law to provide for open voting at elections to Rajya Sabha was questioned, observed in ***Kuldip Nayar v. Union of India and Ors.*** [AIR 2006 SC 3127] that though the secrecy of ballot and purity of elections should normally co-exist, the principle of secrecy of vote must yield to the purity of election to further the object of a free and fair election. Observations to the same effect were made earlier also by the Hon'ble Supreme Court in the case of ***Raghbir Singh Gill v. Gurcharan Singh Tohra*** [AIR 1980 SC 1362] to sub-serve the larger public interest, namely, purity of election for ensuring free and fair election.

27. It is pertinent here to take note of the fact that the above mentioned provisions relating to offence of 'bribery' in the Indian Penal Code were introduced in the year 1920 and the "corrupt practice" of bribery found its mention in the Representation of the People Act in 1951, as originally enacted, when these acts were considered as aberrations and exceptions, whereas the facts narrated above and the reports received by the Commission now paint a wholly different picture in as much as the said aberrations and exceptions seem to have become the main features of election campaigning in the said constituency.

28. Apart from the above, the law of the country also aims to eliminate the role and influence of big money in the electoral process. Therefore, the law has prescribed limits of election expenses which the candidates may incur or authorise in connection with their election. The incurring or authorising expenditure in excess of the prescribed limit is a corrupt practice under section 123(6) of the Representation of the People Act, 1951, the commission whereof would result in the election of the returned candidate being void and also attracting a disqualification for a period up to six years. The law further requires each contesting candidate to maintain a true and separate account of his election expenses under section 77 of the RP Act and the failure to render a true and correct account of the election expenditure may invite disqualification for three years under section 10A of the said Act.

29. The Hon'ble Supreme Court has observed in ***Kanwar Lal Gupta v. Amar Nath Chawla and Ors.*** [AIR 1975 SC 308] that the *'object of limiting expenditure is to eliminate, as far as possible, the influence of big money in the electoral process.'* The Hon'ble Supreme Court further observed the following in respect of the object of the provision limiting the expenditure:

> *"it should be open to any individual or any political party, howsoever small, to be able to contest an election on footing of equality with any other individual or political party, howsoever rich and well financed it may be, and no individual or political party should be able to secure an advantage over others by reason of its superior financial strength".*

30. The distribution of money and other gift items to electors by the candidates, political parties and their agents defeats the salutary provisions of law relating to electoral offence and corrupt practice relating to 'bribery'. It also violates the provisions of "corrupt practice" under section 123(6) of the R.P. Act relating to the prescription of limits of election expenses and requiring the candidates to maintain true and correct accounts of their election expenses under section 77 and section 10A., as obviously the expenditure on illegal gratification and bribery of electors would be concealed and not shown by the candidates in their accounts of election expenses. The Hon'ble Supreme Court recognised this issue and expressed it lament on the same in the following words in the case of ***Ashok Shankarrao Chawan v. Madhavrao Kinhalkar*** **[(2014) 7 SCC 99]**

> ***"53.*** *It is common knowledge as is widely published in the press and media that nowadays in public elections payment of cash to the electorate is rampant and the Election Commission finds it extremely difficult to control such a menace. There is no truthfulness in the attitude and actions of the contesting candidates in sticking to the requirement of law, in particular to Section 77 and there is every attempt being made to violate the restrictions imposed in the matter of incurring election expenses with a view to woo the electorate concerned and thereby, gaining their votes in their favour by corrupt means viz. by purchasing the votes. Therefore, this Court cannot turn a Nelson's eye and state that Sections 77(1) and (3), as well as Section 78 would be relevant only for the purpose of ascertaining the corrupt practices under Section 123(6) of the Act and that such*

requirement of incurring bona fide and correct expenditure need not be a requirement for ascertainment for the Election Commission while exercising its powers under Section 10-A of the Act. In fact, ascertainment of the requirement under Section 77(3) viz. the expenses incurred do not exceed the limit prescribed can be made both for the purpose of an enquiry under Section 10-A, as well as in the event of a candidate exceeding the limit as a corrupt practice for the purpose of invalidating the election. Therefore, the requirement under Section 77(3) has got twin objectives to be fulfilled".

31. As has been observed by the Hon'ble Supreme Court in ***T. N. Seshan v. Union of India*** [1995 (4) SCC 611] as under:

"Democracy being the basic feature of our constitutional setup, there can be no two opinions that free and fair elections to our legislative bodies alone would guarantee the growth of a healthy democracy in the country. In order to ensure the purity of the election process, it was thought by our Constitution-makers that the responsibility to hold free and fair election in the country should be entrusted to an independent body which would be insulated from political and/or executive interference".

32. Viewed in the light of the above principles of purity of elections and to save the elections from the pernicious effect of money power so as to maintain the sanctity of elections envisaged under the Constitution and as upheld by the Hon'ble Supreme Court, it becomes imperative on the part of the Commission to ensure that the above principles and the sanctity of the electoral process must be maintained and preserved by the Commission at all costs. The very object underlying the constitution of the Election Commission as an independent constitutional authority under Article 324 of the Constitution is to ensure that the elections to Parliament and State Legislatures are conducted in a free and fair manner where the purity of elections receives the highest priority. The Hon'ble Supreme Court, in the case of ***Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner and Ors.*** [(1978) 1 SCC 405], has laid great stress on the conduct of free and fair elections and has observed that Article 324 of the Constitution is a reservoir of power for the Election Commission to act for the avowed purpose of pushing forward a free and fair election. In ***Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner (supra)***, the Hon'ble Supreme Court further observed that free and fair elections supply the *vis viva* to democracy. For the sake of convenience and to draw authority therefrom, the relevant paragraphs of the said judgment are noted as under:

"38. *Article 324, which we have set out earlier, is a plenary provision vesting the whole responsibility for national and State elections and, therefore, the necessary powers to discharge that function.*

40. *[…] Ordering a re-poll for a whole constituency under compulsion of circumstances may be directed for the conduct of elections and can be saved by Article 324 — provided it is bona fide necessary for the vindication of the free verdict of the electorate and the abandonment of the previous poll was because it failed to achieve that goal".*

92. *[…](2)(a) The Constitution contemplates a free and fair election and vests comprehensive responsibilities of superintendence, direction and control of the conduct of elections in the Election Commission. This responsibility may cover powers, duties and functions of many sorts, administrative or other, depending on the circumstances.*

(b) Two limitations at least are laid on its plenary character in the exercise thereof. Firstly, when Parliament or any State Legislature has made valid law relating to or in connection with elections, the Commission, shall act in conformity with, not in violation of, such provisions but where such law is silent Article 324 is a reservoir of power to act for the avowed purpose of, not divorced from, pushing forward a free and fair election with expedition. Secondly, the Commission shall be responsible to the rule of law, act bona fide and be amenable to the norms of natural justice insofar as conformance to such canons can reasonably and realistically be required of it as fair play-in-action in a most important area of the constitutional order viz. elections. Fairness does import an obligation to see that no

wrongdoer candidate benefits by his own wrong. To put the matter beyond doubt, natural justice enlivens and applies to the specific case of order for total re-poll, although not in full panoply but in flexible practicability. Whether it has been complied with is left open for the Tribunal's adjudication.

113. *[…] Since the conduct of all elections to the various legislative bodies and to the offices of the President and the Vice-President is vested under Article 324(1) in the Election Commission, the framers of the Constitution took care to leaving scope for exercise of residuary power by the Commission, in its own right, as a creature of the Constitution, in the infinite variety of situations that may emerge from time to time in such a large democracy as ours. Every contingency could not be foreseen, or anticipated with precision. That is why there is no hedging in Article 324. The Commission may be required to cope with some situation which may not be provided for in the enacted laws and the rules. That seems to be the raison d'etre for the opening clause in Articles 327 and 328 which leaves the exercise of powers under Article 324 operative and effective when it is reasonably called for in a vacuous area.*

114. *The Chief Election Commissioner has thus to pass appropriate orders on receipt of reports from the Returning Officer with regard to any situation arising in the course of an election and power cannot be denied to him to pass appropriate orders. Moreover, the power has to be exercised with promptitude".*

33. In the past, in similar circumstances, the Commission was constrained to rescind the elections from 134- Aravakurichi, 174-Thanjavur Assembly Constituencies, in Tamil Nadu at the general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly in May, 2016 and 11-Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in the bye-elections scheduled to be held on 12th April, 2017 in Tamil Nadu. It is pertinent to note that the entire election process related to the biennial election to the Council of States by members of the Jharkhand Legislative Assembly scheduled to be held in March 2012 was rescinded (after actual polling) on the basis of complaints received by the Commission which showed that certain candidates were indulging in bribery of voters and the fact that a huge amount of about Rs. 2 crores were seized by enforcement agencies on the day of poll which was suspected to be used for bribery in that election. The said rescission was challenged before the Hon'ble High Court of Jharkhand in ***Jay Shankar Pathak and Pradeep Kumar Balmuchu v Election Commission of India*** [AIR 2012 (JHAR) 58] wherein the Petitioners challenged not only the jurisdiction of the Election Commission of India but also the reasonability of its decision. The Hon'ble High Court not only upheld the decision of the Election Commission but also hailed it as a necessary step to ensure free and fair elections. It is noteworthy to mention the following observations of the Hon'ble High Court:

"17. *[…] we are of the considered opinion that the present issue raised by the writ petitioners certainly question the power of Election Commission in taking a step to rescind the election, even in gravest to gravest his rarest to rarest case as it is the only step of such great consequence taken by the Election Commission after independence of country and in our opinion, the decision is fully supported by reason and based upon cogent trustworthy evidence, though limited to purpose, so as to not to give chance to any person to enjoy high status of being Member of Parliament. It is true some innocent and honest candidate may have to suffer as all are not corrupt but such honest person should sacrifice his opportunity in larger public interest.*

19. *[…] Therefore, in the present case, the Election Commission was right in its wisdom to take immediate action and recommend cancellation of election notification itself that fresh election may be conducted expeditiously.*

25. *[…] Assuming that none of the party was involved in illegal consideration for vote of its member then also in the fact situation where the involvement of the money was so much and out of which some of the money has been intercepted by the vigilant cell of the Income Tax Department on the instruction of the Election Commission and the Election Commission has presumed that it was a grave case of large scale horse trading and money power play and took the extraordinary steps in extraordinary situation and which is not*

contrary to any statutory provisions of law and which action is based on substantive material evidence, then at this juncture, it would be relevant to quote from the judgment of the Hon'ble Supreme Court delivered in the case of M.S. Gill (Supra), wherein the Hon'ble Supreme Court observed that:

> *"once the appointment is made by the President the Election Commission remain insulated from extraneous influences and that cannot be achieved unless it has an amplitude of powers in the conduct of elections-of course in accordance with the existing laws but where these are absent, and yet a situation has to be tackled the Chief Election Commissioner has not to fold his hands and pray to God for divine inspiration to enable him to exercise his functions and to perform his duties or to look to any external authority for the grant of powers to deal with the situations. He must lawfully exercise his power independently, in all matters relating to the conduct of elections, and see that the elections process is completed properly in a free and fair manner. "An express statutory grant of power or the imposition of a definite duty carries with it by implication, in the absence of a limitation, authority to employ all the means that are usually implied and that are necessary to the exercise of the power of the performance of the duty .....that which is clearly implied in as much a part of a law as that which is expressed."*

26. *In these cases, we are of the considered opinion that the Election Commission has acted befitting to its office by taking extraordinary steps of stopping the counting promptly and stopping the result of the poll and forthwith recommended for rescinding the election notification to Her Excellency the President of India. The Election Commission recommendations are since based on facts and materials and this Court is not appellate Court to re-examine the evidence and material to find out the correctness in the process of the Election Commission.*

30. *We are of the considered opinion that when decision is taken for entire election and when here in this case, the entire election may be consisting of only two seats but was for the Council of States (Rajya Sabha), and election is by preferential vote, then it is immaterial if money has been paid for vote of one of the candidate, then certainly the second preference of such voter, who is corrupt, also pollute the election and it is difficult to collect any evidence that whether money was to paid for first preference or second preference. In that peculiar facts and circumstances, the Election Commission was required to look into the totality of the facts for taking an administrative decision. […] Therefore, we are of the considered opinion that in the present facts and circumstances of the case, the Election Commission was not left with only option to cancel the votes of these candidates but was fully justified in feeling for cancellation of election".*

34. It is also not out of place to note the observations of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh in ***N. Kristappa v. Chief Election Commissioner and Ors.*** [AIR 1995 AP 212] where the order of the Commission rescinding the elections for 163-Gorantla Assembly Constituency on the ground that a candidate of a political party was abducted and prevented from filing his nomination papers was challenged. The Hon'ble High Court while upholding the orders of the Commission held as under:

> *"25. […] Article 324(1) of the Constitution of India confers powers of superintendence, direction and control on the Election Commission. The Election Commission is entitled to exercise certain powers under Art. 324 itself on its own right, in an area not covered by Representation of the People Act and the Rules. In this case, the first respondent on the basis of the reports received from respondents 2 and 3, in exercise of plenary powers vested in him under Art. 324 . of the Constitution of India read with Ss. 30 and 153 of the Representation of the People Act, 1951 has recommended the Governor of Andhra Pradesh State to rescind the election process insofar as it relates to 163-Gorantla Assembly Constituency, with a promise that the election would be commenced afresh.*
>
> *26. […] The action of the first respondent in recommending the rescission of election process*

in 163-Gorantla Assembly Constituency cannot be looked in isolation in respect of a particular, political party's point of view, but has to be looked in the overall facts and circumstances of the case. In the given circumstances, the first respondent felt that the purity of the election process has been irretrievably sullied in 163-Gorantla Assembly Constituency and if the election process is allowed to be completed in the said constituency, it cannot reflect the true choice of the electorate of the Constituency. Therefore, no mala fides could be attributed to the first respondent inasmuch as he recommended rescission of the election process in 163-Gorantla Assembly Constituency as the circumstances are not conducive to allow the election process in the said constituency".

35. Having regard to the above constitutional and legal position enjoining upon the Commission the duty of conducting free and fair elections and upholding the purity of election and after taking into account all relevant facts and circumstances of the present case, the Commission is fully satisfied that the current electoral process in the said 8-Vellore Parliamentary Constituency in Tamil Nadu has been seriously vitiated on account of the above-mentioned unlawful activities on behalf of the candidate, Sh. Kathir Anand, and some members/ workers of the political party in question. In the Commission's considered opinion, allowing the current electoral process to proceed and conducting the poll in the constituency on 18th April, 2019, as scheduled, in such a vitiated atmosphere would severely jeopardise the conduct of free and fair election in the said 8-Vellore Parliamentary Constituency.

36. Accordingly, the Commission hereby recommends, under Article 324 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 and all other powers enabling it in this behalf to the Hon'ble President that he may be pleased to rescind **the Election Notification No. H-11024(1)/2019-Leg.II dated 19th March 2019, in so far as it relates to calling upon the said 8-Vellore Parliamentary Constituency in Tamil Nadu to elect a member to the Lok Sabha.**

(Shri Ashok Lavasa)	**(Shri Sunil Arora)**	**(Shri Sushil Chandra)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi

Date: 14.04.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.04.16 22:53:45 +05'30'